

Reg. No.: 32411 of 1998 PAN no.: AAATD3388A, 80G no.: DEL-DE27395-09012017dtd.9Jan2017

www.dehdan.org dehdan99@gmail.com dadhichidehdansamiti dadhichidehdan

9811106331, 9811066405, 9811598598, 9582883432

Pledge for Body-Organ Donation after death

मरणोपरांत देह-अंग दान का संकल्प पत्र

Dear Sir

In the Cause of Humanity, I resolve to donate, after death, my eyes/ all transplantable organs/full body.

प्रिय महोदय,

मैं, मानवता के लिए, अपनी मृत्यु के बाद अपने नेत्र / काम आ सकने वाले सभी अंग/पूरी देह का दान करने का संकल्प करता/करती हूँ।

Signature / हस्ताक्षर

1. Personal Details / व्यक्तिगत जानकारी

Name :

Date of Birth : Sex : Blood Group :

Father's/Husband's Name:

Mother's Name:

Address :

Pin Code :

E-mail :

Occupation :

Mobile : Phone-Res: Phone-Off:

2. Other Useful information (Education, Designation, field of Interest etc):

3. I wish to donate (please tick)
मैं दान करना चाहता/चाहती हूँ (कृपया टिक करें)

(i) Only Eyes / केवल नेत्र ☐

(ii) All Transplantable Organs
काम आ सकने वाले सभी अंग ☐

(iii) Whole Body
पूरी देह ☐

4. Two Witnesses (One should be from close family):
दो गवाह (एक निकट सम्बन्धी जरूरी है)

1		2	
नाम Name			
पता Address			
संबंध Relationship			
मोबाइल Mobile			
ईमेल Email			
हस्ताक्षर Signature			

5. Please appoint an Executor to communicate with the Samiti, when time comes for it :

कृपया एक निष्पादक की नियुक्ति करें, जो दान का समय आने पर समिति से सम्पर्क करेंगे:

Name / नाम _____

Address / पता _____

6. We shall be obliged for your kind donation preferably by Cheque or in Cash of Rs. 200 or more in the name of 'Dadhichi Deh Dan Samiti' to cover expenses for your I-Card, Certificate, Will and of registration of the donation. The donation to the Samiti enjoys the benefit of Section 80G of the Income Tax Act.

हम कृतज्ञ होंगे यदि आपके संकल्प को रजिस्टर करने, पहचान पत्र, प्रमाण पत्र एवं वसीयत आदि के व्यय के लिए आप समिति को 200 रुपये या अधिक का दान 'दधीचि देह दान समिति' के नाम चैक/नकद द्वारा दे सकें। समिति को दिया दान आयकर की धारा 80जी के अंतर्गत टैक्स में छूट देने का अधिकार देती हैं।

7. Motivator's Name and Address

आपके इस पुण्य संकल्प के लिए प्रेरणा देने वाले का नाम व पता:

VERIFICATION / सत्यापन

I, _____ hereby verify that the above information is true to my knowledge. I request Dadhichi Deh Dan Samiti to take necessary action in accordance with my pledge.

मैं, _____ सत्यापित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा ऊपर दी गई जानकारी, मेरे स्वतः के ज्ञान के अनुसार सत्य है। मैं दधीचि देह दान समिति से प्रार्थना करता/करती हूँ कि मेरा यह संकल्प करवाने के लिए आवश्यक कार्रवाही करें।

Date / दिनांक

Signature / हस्ताक्षर

For Office use only / केवल कार्यालय के प्रयोग हेतु

- (i) **Date / दिनांक**

Form received on/ फॉर्म प्राप्त

Form acknowledgment/ फॉर्म पावती

Certificate/ प्रमाण पत्र

I card / परिचय पत्र

Will / वसीयत

- (ii) Receipt Number and Date / दान की रसीद का नंबर और दिनांक

- (iii) Donor Number / संकल्पदाता का अनुक्रमांक

NECESSARY INSTRUCTIONS / आवश्यक सूचनाएं

1. Please complete your form and send it with your one photograph and donation if any at the following address:

कृपया अपना फॉर्म पूरा भरके अपना एक फोटो और दान (यदि हो) तो निम्नलिखित पते पर भेजे:

General Secretary
Dadhichi Deh Dan Samiti
W-99, Greater Kailash-1
New Delhi 110048

महामंत्री महोदय,
दधीचि देह दान समिति
डब्ल्यू-99, ग्रेटर कैलाश-1,
नई दिल्ली 110048

2. The law requires that your pledge has two witnesses. One of the witnesses must be from close family member (Spouse, Parent, Brother, Sister or major child).

कानूनी प्रावधानों के अनुसार आपके संकल्प पत्र में दो गवाहों का होना आवश्यक है। इसमें से एक निकट सम्बन्धी (माँ, पिता, पति, पत्नी, भाई, बहन या वयस्क पुत्र या पुत्री) होना चाहिए।

3. Upon the death of a donor, his/her family has to inform the Samiti at any of the following numbers
9811106331, 9811066405, 9811598598, 9582883432.

The Samiti then coordinates with the family and makes all arrangements of the donation.

The documents required are (i) the Certificate / Identity Card of the donor issued by the samiti

(ii) Certificate from the treating doctor about the cause of death or the death summary from the hospital
(iii) Voter card / Aadhar card or other proof of identity of the donor.

If the donor was not registered, his close family member can give a certificate conveying the resolution of the family to so donate.

दानी की मृत्यु होने पर परिवार को निम्न किसी भी नंबर पर सूचना देनी होती है: **9811106331, 9811066405, 9811598598, 9582883432.**

इसके बाद समिति परिवार से चर्चा करते हुए दान को सफल कराने की पूरी जिम्मेवारी लेती है। इस दान के लिए (i) समिति द्वारा दिया गया दानी का प्रमाण पत्र या पहचान पत्र (ii) इलाज करने वाले डॉक्टर का मृत्यु का कारण बताने वाला प्रमाण पत्र / अस्पताल से मिलने वाली डेथ समरी (iii) दाता का वोटर पहचान पत्र / आधार कार्ड या पहचान का कोई अन्य सरकारी दस्तावेज चाहिए।

अगर दान दाता का पंजीकरण नहीं हुआ था तो परिवार के निकट सदस्य यह प्रमाण पत्र देंगे कि परिवार परस्पर सहमति से यह दान करा रहा है।

4. Your local contacts in Delhi – NCR

दिल्ली-एनसीआर में आपके स्थानीय क्षेत्र के संपर्क सूत्र:

Zones / क्षेत्र	Name / नाम	Mobile / मोबाइल
North Delhi उत्तरी दिल्ली	Shri G.P. Tayal श्री जी.पी. तायल	9810133551
North-East Delhi उत्तरी-पूर्वी दिल्ली	Shri Yogendra Agarwal श्री योगेन्द्र अग्रवाल	9212764515
East Delhi पूर्वी दिल्ली	Smt. Gunjan Gupta श्रीमती गुंजन गुप्ता	7290014818
West Delhi पश्चिमी दिल्ली	Shri Jagmohan Saluja श्री जगमोहन सलूजा	9560264264
South Delhi दक्षिणी दिल्ली	Shri Deepak Goyal श्री दीपक गोयल	9810172766
Central Delhi मध्य दिल्ली	Shri Manoj Jindal श्री मनोज जिन्दल	9811659740
Ghaziabad and Noida गाज़ियाबाद और नोएडा	Shri Avinash Chandra श्री अविनाश चन्द्र	7982194324
Faridabad फरीदाबाद	Shri Rajiv Goel श्री राजीव गोयल	8527937970
Buland shahar and Greater Noida बुलन्द शहर और ग्रेटर नोएडा	Shri Rakesh Kumar श्री राकेश कुमार	8130777066

❧ माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद भाषण (8 नवम्बर 2017) के अंश ❧

मृत्यु के बाद हमारा शरीर या शारीरिक अंग किसी और मनुष्य के उपचार के लिए उपयोगी हो सके यह सोच हमारे समाज व देश की आने वाली पीढ़ी को एक मानवीय दृष्टिकोण प्रदान करेगी। हमारा यह प्रयास होना चाहिए कि हम लोगों को देह-अंगदान से संबंधित प्रक्रिया को सरल रूप से समझाएं और उन्हें देह-अंगदान के लिए प्रोत्साहित करें। उनके स्वभाविक सवालों के उत्तर देकर उन्हें संवेदनशील व जागरूक बनाएं।

अब समय आ गया है जब हम संपूर्ण समाज व देश को अपना परिवार बनाएं एवं हर पीड़ित, दुर्घटना ग्रस्त, बीमार व अपंग व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए निःस्वार्थ भाव से अपने देह/अंगों का दान करने का संकल्प लें। यही सही मायने में मानवता की सेवा में एक प्रेरणादायी कदम होगा।

सर्वे सन्तु निरामयाः यानि सब लोग स्वस्थ रहें-इसी आदर्श पर चलते हुए हम एक स्वस्थ सबल भारत के निर्माण के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा करें।

❧ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 'मन की बात' (अक्टूबर 2015) के अंश ❧

मुझे लगता है कि यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है। देश को प्रतिवर्ष दान के लिए 2.5 लाख से अधिक किडनी, दिल और लिवर की जरूरत है। हालाँकि 125 करोड़ लोगों वाले देश में, केवल 5000 प्रत्यारोपण ही होते हैं। हर साल लगभग एक लाख आँखों की जरूरत होती है और हम केवल 25,000 लोगों तक पहुंचते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि हम चार जरूरतमंद व्यक्तियों में से केवल एक को ही नेत्र प्रदान करने में सक्षम हैं। हमें यह भी पता होना चाहिए कि अगर सड़क दुर्घटना में किसी की मौत होती है, तो अंग भी दान किए जा सकते हैं। इसमें कुछ कानूनी अड़चनें शामिल हैं और इस दिशा में राज्यों का मार्गदर्शन करने का प्रयास किया गया है।

कागज के काम को कम करके, कुछ राज्यों ने अंगदान में शामिल प्रक्रिया को गति देने का अच्छा प्रयास किया है। कई सामाजिक संगठन और एनजीओ इस दिशा में सहायनीय काम कर रहे हैं। अंग प्रत्यारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (NOTO) की स्थापना की गई है। 24x7 हेल्पलाइन सुविधा 1800 114 770 भी उपलब्ध है। 'तेन त्यक्तेन भूञ्जथा' इस मंत्र में त्याग करने की खुशी का बहुत सुंदर वर्णन किया गया है।